

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 133, दिनांक: 03-05-2024

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलाने का प्रलोभन देकर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले संगठित गिरोह के 02 अभियुक्त कानपुर नगर से गिरफ्तार।

दिनांक: 03-05-2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को भारत सरकार द्वारा गरीब जनता के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिलाने हेतु डूडा आफिस लखनऊ का अधिकारी बन कालकर, वाट्सएप काल के माध्यम से उनके अभिलेख मंगाकर सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले संगठित गिरोह के 02 अभियुक्तों को कानपुर नगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

अभियुक्तों का विवरण:-

- 1- प्रदीप सिंह उर्फ काला पुत्र विनोद सिंह निवासी राम नगर थाना रेउना जनपद कानपुर नगर।
- 2- सनी सिंह पुत्र जगदीश सिंह निवासी राम नगर थाना रेउना जनपद कानपुर नगर।

बरामदगी-

- 1- 02 अदद मोबाइल फोन।
- 2- 02 अदद कूटरचित वोटर आईडी।
- 3- 02 अदद मोटरसाइकिल।
- 4- रुपये 2,650/- नकद।

गिरफ्तारी का दिनांक समय/स्थान:-

स्थान- थाना क्षेत्र रेउना, कानपुर नगर दिनांक 03-05-2024 समय- 07:30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी समय से भारत सरकार द्वारा गरीब जनता के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर डूडा अधिकारी बनकर ठगी करने वाले संगठित गिरोहों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ उ0प्र0 की विभिन्न टीमों/इकाईयों को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री विशाल विक्रम सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 मुख्यालय स्थित साइबर टीम द्वारा निरीक्षक संजय कुमार सिंह नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

एसटीएफ टीम द्वारा उपरोक्त प्रकरण में तकनीकी विशेषज्ञता एवं मुखबिर के माध्यम से सूचना संकलित करते हुए दिनांक 03-05-2024 को समय करीब 07:30 बजे उपरोक्त संगठित गिरोह के 02 अभियुक्तों को थाना क्षेत्र रेउना कानपुर नगर से गिरफ्तार किया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ पर अभियुक्तों ने बताया कि उनका एक संगठित गिरोह है। यह लोग आम आदमी की कूटरचित आईडी बनाकर सिम कार्ड खरीदते हैं। भारत सरकार द्वारा गरीब जनता के हित में चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास दिलाने हेतु डूडा आफिस लखनऊ का अधिकारी बनकर उन्ही मोबाइल नम्बरों से सीरियल नम्बरों पर काल करके लोगों को अपने जाल में फंसाकर, वाट्सएप के माध्यम से उनके अभिलेख मंगाते हैं। गैंग की महिलाओं के माध्यम से उन लोगों की आईडी पर नया बैंक खाता खुलवा लेते हैं। उन बैंक खातों में एसएमएस एलर्ट मोबाइल नम्बर के रूप में अपना मोबाइल नम्बर डलवा देते हैं व उसी एसएमएस एलर्ट नम्बर से यूपीआई आईडी बना लेते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए लोगों से क्रमशः रजिस्ट्रेशन के नाम पर, इसके बाद बैंक मैनेजर बनकर फाइल चार्ज के रूप में, फिर बैंक खाते में लो बैलेंस होने की बात कहकर लो बैलेंस मेन्टीनेंस चार्ज के रूप में रुपये फर्जी बैंक खातों में धोखे से डलवा लेते हैं। यदि ठगी का शिकार हुए व्यक्ति को शक होने पर वह अपना पैसा वापस मांगता है तो उसको बताते हैं कि आपकी फाइल का जो खर्च आया है वह जमा कर दो तो आपका पैसा वापस कर दिया जायेगा। इसी तरह कई प्रकार के बहाने बताकर ठगी करते हैं। दिन भर में 4 से 6 लोगों को झांसा देकर 50 से 60 हजार रुपये तक की ठगी कर लेते हैं। यह लोग लगभग 20 बैंक खातों में ठगी का पैसा मंगाते हैं, जिसको यूपीआई व एटीएम के माध्यम से तत्काल निकाल लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना रेउना, कमिश्नरेट कानपुर नगर में मु0अ0सं0 70/2024 धारा 34/419/420/467/468/471 भादवि एवं 66 डी सूचना प्रद्योगिकी (संशोधन) अधिनियम-2008 का अभियोग पंजीकृत कराकर दाखिल किया गया है, अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।